न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग–खंडवा। जिला–खंडवा

प्रकरण कमांक 06/अ–2/2014–2015

मौजा – ग्राम दोंदवाड़ा। तहसील–खंडवा।

1– श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी
निवासी संतोषनगर कालोनी, खंडवा तहसील एवं जिला–खंडवा।

.... आवेदिका।

।। आदेश ।।

(पारित दिनॉक 07–11–2014)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदिका श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी निवासी, खंडवा द्वारा हस्ताक्षरित एक आवेदन पत्र अधिवक्ता श्री अरूण गुप्ता के माध्यम से, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता–1959 की धारा 172 (1) के तहत नियत प्ररूप में पेश कर ग्राम दोंदवाड़ा तहसील–खंडवा स्थित मालकी एवं कब्जे की भूमि खसरा नं0 874, 875 कमशः रकबा 0.720, 0.610 है0 कुल रकबा 1.330 हैक्टर का व्यपवर्तन ''औघोगिक–ईंट बनाने के प्रयोजनार्थ'' हेतु चाहा गया है। आवेदन पत्र के साथ भूमि की रजिस्ट्री छाया प्रति, भूमि का नक्शा, खसरा, बी–1, मानचित्र आदि दस्तावेज संलग्न पेश किये गये है।

2– उक्त आवेदित कृषि भूमि को कृषि भिन्न ''औघोगिक ईंट बनाने के प्रयोजन'' हेतु व्यपवर्तन किये जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में इश्तहार जारी किया। नियत अवधि में कोई आपत्ति न्यायालय में प्राप्त नही हुई। साथ ही संबधित विभागों से तत्संबंधी अभिमत चाहा गया। अधीक्षक, भू–अभिलेख परि0 एवं राजस्व निरीक्षक डाय. खंडवा से स्थल जॉच प्रतिवेदन एवं रेन्ट गणना बाबत जानकारी प्राप्त की गई।

3– उपसंचालक,नगर तथा ग्राम निवेश,खंडवा तथा अन्य संबंधित विभागों की एनओसी समयावधि में प्राप्त नही। सरपंच,ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा जनपद पंचायत, छैगांवमाखन का पत्र प्राप्त, जिसमें दर्शित किया कि ग्राम दोदवाड़ा की जनसंख्या वर्तमान सर्वे अनुसार 1500 की है।

4– मेरे द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनयम–2003 ''मूल अधिनियम की धारा–172 का संशोधन एवं प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 2–1/2013/सात/शा.6 दिनॉक 25 जून–2014 की कंडिका–2 का अवलोकन किया। ''इस धारा के प्रावधानानुसार 2000 से कम की जनसंख्या वाले ग्रामों में स्थित भूमियों के लिये अनुज्ञा की आवश्यकता नही है, ऐसे मामलों में केवल धारक द्वारा उपखंड अधिकारी को व्यपवर्तन की लिखित सूचना दी जाना पर्याप्त है।

5– अधीक्षक, भू–अभिलेख परि./राजस्व निरीक्षक डाय. खंडवा द्वारा आवेदित भूमि ग्राम दोंदवाड़ा खसरा नं0 874, 875 कमशः रकबा 0.720, 0.610 है0 स्थल की जॉच की जाकर प्रतिवेदन, रेन्ट गणना प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार प0ह0नं0–88/38 ग्राम दोंदवाड़ा तह0खंडवा, की भूमि खसरा नं0 874, 875 कमशः रकबा 0.720, 0.610 है0 कुल रकबा 1.330 हैक्टर भू0रा0 रूपये 2=00 आवेदिका श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी, निवासी खंडवा के नाम शासकीय अभिलेखों में भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज है। आवेदिका ने उक्त वर्णित संपूर्ण भूमि को कृषि भिन्न प्रयोजन औघोगिक–ईट बनाने के प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन चाहा है। आवेदित भूमि स्थल पर रिक्त है, भूमि पर कोई निर्माण कार्य नही किया गया है। आवेदित भूमि ग्राम दोंदवाड़ा ग्राम पंचायत,दोंदवाड़ा विकास खंड, छैगांवमाखन की सीमा अन्तर्गत आती है। भूमि, नगर पालिक निगम,खंडवा सीमा में स्थित नही है।

–2–

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी खण्डवा (म.प्र.)

श्रीमती आशा पति कमलेश सेठी नि. (खंडवा)

आवेदित भूमि शासकीय अथवा पट्टे की भूमि नही है। भूमि में से हाईटेन्शन विघुत लाईन नही जा रही है। भूमि खंडवा छैगांवमाखन मार्ग के दक्षिण दिशा में स्थित होकर खंडवा से करीबन 13 कि.मी. की दूरी पर है, भूमि का व्यपवर्तन औघोगिक—ईंट बनाने के प्रयोजन हेतु किया जाता है तो किसी प्रकार का प्रदूषण अथवा न्यूसेंस नही होगा। प्रश्नाधीन आवेदित भूमि कुल रकबा 1.330 हैक्टर का वर्गफीट में क्षेत्रफल 143160 वर्गफीट (13300 व0मी0) होता है।

आवेदित भूमि की चतुरसीमा निम्नानुसार है :—

पूर्व दिशा में	—	हुकुम, प्रभु एवं बलीराम की भूमि।
पश्चिम दिशा में	—	खसरा नं0 858/2 की भूमि
उत्तर दिशा में	—	आम रास्ता
दक्षिण दिशा में	—	आम रास्ता।

प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल अधिसूचना दिनॉक 10 जुलाई—2014 वर्णित अनुसूची अनुसार भूमि के उपयोग हेतु भूराजस्व के पुर्ननिर्धारण हेतु दर/प्रीमियम का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार ग्राम दोंदवाड़ा (ग्राम पंचायत परिसीमा) तहसील—खंडवा हेतु कलेक्टर, खंडवा गाईड लाईन वर्ष 2014—15 अनुसार बाजार मूल्य रूपया 23,40,900=00 (तेईस लाख चालीस हज़ार नौ सौ रूपया) प्रति हैक्टर के मान से निर्धारित है, इस मान से आवेदित भूमि कुल रकबा 1.330 हैक्टर (143160 वर्गफीट/13300 वर्गमीटर) का गाईड लाईन अनुसार बाजार मूल्य रूपया 31,13,397=00 (इकतीस लाख तेरह हजार तीन सौ सत्यानबे रूपया) निर्धारित होती है, इस राशि का 0.2 प्रतिशत औघोगिक भू—परिवर्तित रेन्ट रूपया 6,227=00 वार्षिक, तथा इस राशि का 50 प्रतिशत पंचायत उपकर रूपया 3,114—00 होता है, तथा 1 प्रतिशत प्रीमियम राशि रूपया 31,114=00 राजस्व वर्ष 2014—2015 से निर्धारित कर कायम किया जाना तथा कृषि भू—राजस्व रूपया 2=00 कम किया जाना प्रस्तावित किया है, जो एतदद्धारा स्वीकृत किये जाते है।

5— प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि ग्राम दोंदवाड़ा 874, 875 कमशः रकबा 0.720, 0.610 है0 कुल रकबा 1.330 हैक्टर भू0रा0 रूपये 2=00श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी, निवासी खंडवा के नाम शासकीय अभिलेखों में भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज है। भूमि को कृषि भिन्न प्रयोजन औघोगिक—ईंट बनाने के प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किये जाने बाबत इश्तहार जारी होने पर, कोई आपत्ति प्राप्त नही है।

अतएव् उक्त विवेचना परिप्रेक्ष्य में ग्राम दोंदवाड़ा तहसील—खंडवा की भूमि खसरा नं0 874, 875 कमशः रकबा 0.720, 0.610 है0 कुल रकबा 1.330 हैक्टर (अर्थात 143160 वर्गफीट/13300 वर्गफीट) भूमि का "औघोगिक—ईंट बनाने के प्रयोजन" हेतु व्यपवर्तन किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं निर्धारण के तहत प्रदान की जाती है।

1— व्यपवर्तित भूमि कुल रकबा 1.330 हैक्टर अर्थात 143160 वर्गफीट/13300 वर्गमीटर भूमि पर औघोगिक परिवर्तित रेन्ट रूपया 6,227=00 प्रतिवर्ष, पंचायत उपकर रूपया 3,114=00 प्रतिवर्ष तथा प्रीमियम रूपया 31,134=00 कायम किया जाता है। औघोगिक परिवर्तित रेन्ट राजस्व वर्ष 2014—2015 से देय होगा। कृषि भू0रा0 2=00 कम किया जाता है।

2— व्यपवर्तित भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व,स्थानीय संस्था, ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा से भवन निर्माण अनुमति, उपयंत्री मानचित्र अनुमोदन, प्राप्त करना आवश्यक होगा। व्यपवर्तित भूमि का अन्य मद प्रयोजनार्थ उपयोग नही किया जावेगा।

—3—

आवेदित भूमि शासकीय अथवा पट्टे की भूमि नही है। भूमि में से हाईटेन्शन विघुत लाईन नही जा रही है। भूमि खंडवा छैगांवमाखन मार्ग के दक्षिण दिशा में स्थित होकर खंडवा से करीबन 13 कि.मी. की दूरी पर है, भूमि का व्यपवर्तन औद्योगिक–ईंट बनाने के प्रयोजन हेतु किया जाता है तो किसी प्रकार का प्रदूषण अथवा न्यूसेंस नही होगा। प्रश्नाधीन आवेदित भूमि कुल रकबा 1.330 हैक्टर का वर्गफीट में क्षैत्रफल 143160 वर्गफीट (13300 व0मी0) होता है।

आवेदित भूमि की चतुरसीमा निम्नानुसार है :–

पूर्व दिशा में – हुकुम, प्रभु एवं बलीराम की भूमि।
पश्चिम दिशा में – खसरा नं0 858/2 की भूमि
उत्तर दिशा में – आम रास्ता
दक्षिण दिशा में – आम रास्ता।

प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल अधिसूचना दिनॉक 10 जुलाई–2014 वर्णित अनुसूची अनुसार भूमि के उपयोग हेतु भूराजस्व के पुर्ननिर्धारण हेतु दर/प्रीमियम का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार ग्राम दोंदवाड़ा (ग्राम पंचायत परिसीमा) तहसील–खंडवा हेतु कलेक्टर, खंडवा गाईड लाईन वर्ष 2014–15 अनुसार बाजार मूल्य रूपया 23,40,900=00 (तेईस लाख चालीस हज़ार नौ सौ रूपया) प्रति हैक्टर के मान से निर्धारित है, इस मान से आवेदित भूमि कुल रकबा 1.330 हैक्टर (143160 वर्गफीट/13300 वर्गमीटर) का गाईड लाईन अनुसार बाजार मूल्य रूपया 31,13,397=00 (इकतीस लाख तेरह हजार तीन सौ सत्यानबे रूपया) निर्धारित होती है, इस राशि का 0.2 प्रतिशत औघोगिक भू–परिवर्तित रेन्ट रूपया 6,227=00 वार्षिक, तथा इस राशि का 50 प्रतिशत पंचायत उपकर रूपया 3,114–00 होता है, तथा 1 प्रतिशत प्रीमियम राशि रूपया 31,114=00 राजस्व वर्ष 2014–2015 से निर्धारित कर कायम किया जाना तथा कृषि भू–राजस्व रूपया 2=00 कम किया जाना प्रस्तावित किया है, जो एतदद्धारा स्वीकृत किये जाते है।

5– प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि ग्राम दोंदवाड़ा 874, 875 कमशः रकबा 0.720, 0.610 है0 कुल रकबा 1.330 हैक्टर भू0रा0 रूपये 2=00श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी, निवासी खंडवा के नाम शासकीय अभिलेखों में भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज है। भूमि को कृषि भिन्न प्रयोजन औघोगिक–ईंट बनाने के प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किये जाने बाबत इश्तहार जारी होने पर, कोई आपत्ति प्राप्त नही है।

अतएव् उक्त विवेचना परिप्रेक्ष्य में ग्राम दोंदवाड़ा तहसील–खंडवा की भूमि खसरा नं0 874, 875 कमशः रकबा 0.720, 0.610 है0 कुल रकबा 1.330 हैक्टर (अर्थात 143160 वर्गफीट/13300 वर्गफीट) भूमि का "औघोगिक–ईंट बनाने के प्रयोजन" हेतु व्यपवर्तन किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं निर्धारण के तहत प्रदान की जाती है।

1– व्यपवर्तित भूमि कुल रकबा 1.330 हैक्टर अर्थात 143160 वर्गफीट/13300 वर्गमीटर भूमि पर औघोगिक परिवर्तित रेन्ट रूपया 6,227=00 प्रतिवर्ष, पंचायत उपकर रूपया 3,114=00 प्रतिवर्ष तथा प्रीमियभ रूपया 31,134=00 कायम किया जाता है। औघोगिक परिवर्तित रेन्ट राजस्व वर्ष 2014–2015 से देय होगा। कृषि भू0रा0 2=00 कम किया जाता है।

2– व्यपवर्तित भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व,स्थानीय संस्था, ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा से भवन निर्माण अनुमति, उपयंत्री मानचित्र अनुमोदन, प्राप्त करना आवश्यक होगा। व्यपवर्तित भूमि का अन्य मद प्रयोजनार्थ उपयोग नही किया जावेगा।

–3–

3- पर्यावरण की दृष्टि से किसी भी प्रकार के प्रदूषण हेतु (यदि आवश्यक हो तो) म0प्र0प्रदुषण निवारण मंडल से अनापत्ति पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
4- विघुत लाईन के नीचे अथवा विघुत लाईन से प्रभावित क्षेत्र में विकास/निर्माण कार्य प्रतिबंधित होगा।
5- भवन का निर्माण भूकंप अवरोधी तकनीकी से करना आवश्यक होगा। वर्षा/छत के पानी की हॉर्वेस्टिंग प्रणाली की वैकल्पिक व्यवस्था म.प्र.भूमि विकास नियम 1984 के नियम 78 (4) में दिये गये विकल्पों के अनुसार करना अनिवार्य होगा। भवन में निःशक्त व्यक्तियों के लिये बाधा रहित आवागमन हेतु उचित प्रावधान (रेम्प इत्यादि) करना अनिवार्य होगा।
6- स्थल पर विघमान वृक्षों को यथावत रखा जावें, जिन वृक्षों को काटना हो उसके लिये नियमानुसार अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करना होगा। भूमि-भूखंड का उपविभाजन मान्य नही होगा।
7- प्रस्तावित उपयोग से संबंधित समस्त सुरक्षा साधनों की स्वयं को व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। पार्किंग की व्यवस्था स्वयं की भूमि पर करना होगा।
8- भूमिस्वामित्व संबंधी वाद/विवाद होने की दशा में अथवा गलत जानकारी देने अथवा आदेश में उल्लेखित शर्तो के उल्लंघन की दशा में दी गई अनुज्ञा निरस्त मानी जावेगी।

यह आदेश आज दिनॉक 07-11-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं सील मुद्रा से जारी किया ।

(महेन्द्रसिंह कवचे)
अनुविभागीय अधिकारी,(रा)
अनुभाग खंडवा

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी खण्डवा (म.प्र.)

खंडवा,दिनॉक 07-11-2014

पृष्ठां0कं0क/री-अ0वि0अ0/2014
प्रतिलिपी-
1- उपंसचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,खंडवा।
2- तहसीलदार,तहसील-खंडवा/सहा0अधी0 परिवर्तित शाखा,खंडवा।
3- सरपंच,ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा। जन0पंचा0 छैगांवमाखन। तहसील-खंडवा।
4- पटवारी, ग्राम दोंदवाड़ा। तह0खंडवा द्वारा- राजस्व निरीक्षक, छैगांवमाखन।
5- आवेदिका श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी, निवासी संतोषनगर कालोनी ,खंडवा। तहसील एवं जिला-खंडवा। की और सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु। औघोगिक परिवर्तित रेन्ट/प्रीमियम राशि अविलंब जमा कर चालान प्रति पेश करें।

अनुविभागीय अधिकारी,(रा)
अनुभाग, खंडवा

श्रीमती आशा पति कमलेश सेठी नि. (खंडवा)

(1)

APP. NO. 1386/14

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग–खंडवा। जिला–खंडवा

7/11/2014

प्रकरण क्र0 6 / अ–2 / 2014–2015

मौजा– ग्राम दोंदवाड़ा

विषय– भूमि को कृषि / पड़ती भिन्न प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन। मौजा ग्राम........

16/10/14 आवेदक / आवेदकगण श्रीमती आशा सेठी

पति श्री कमलेश सेठी

निवासी संतोष नगर कालोनी खंडवा तहसील खंडवा जिला खंडवा ने एक आवेदन पत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता–1959 की धारा 172(1) के तहत प्रस्तुत कर स्वयं / संयुक्त मालिकी एवं कब्जे की भूमि ग्राम दोंदवाड़ा खसरा नं0 874, 875 रकबा 0.720, 0.610 हे. 1.330 हे0 में से पैका रकबा संपूर्ण रकबा व्यय को कृषि / पड़ती भिन्न प्रयोजन औद्योगिक ईंट बनाने के प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित किये जाने की अनुमति चाही गई है। आवेदन पत्र के साथ आवेदित भूमि की रजिस्ट्री पत्र, भू–अधिकार पुस्तिका छाया प्रति / खसरा, बी–1 एवं मानचित्र आदि की छाया प्रतिया–दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किये गये है।

2– प्रकरण दर्ज किया जावे।

3– प्रकरण में इश्तहार जारी किया जावें।

4– संबंधित विभागो उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, खंडवा / आयुक्त, नगर ~~पालिक निगम, खंडवा~~ / ~~कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ.स)~~ ~~खंडवा~~ / कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश विद्युत मंडल,खंडवा / ग्रामीण / सरपंच,ग्राम पंचायत दोंदवाड़ा जनपद पंचायत छैगांवमाखन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावें। तदानुसार पत्र जारी हो।

5– अधीक्षक, भू–अभिलेख, खंडवा / राजस्व निरीक्षक, डाय. खंडवा से आवेदित स्थल का स्थल जॉच प्रतिवेदन–रेन्ट गणना संबधी जानकारी मय अभिमत प्राप्त की जावें।

पेशी दिनॉक 31/10/2014

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
अनुभाग–खंडवा

न्या0 अ0 वि0 अ0 खण्डवा के प्र0 क्रमांक – 06/अ-2/14-15 दोंदवाड़ा में संलग्न सम्पूर्ण आदेश पत्रिका दिनांक – 16/10/14 से आदेश दिनांक – 07/11/14 तक की नकल

श्रीमती आशा पति कमलेश सेठी नि. खण्डवा

FOR CC COPYING FEES ONLY

(53)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग--खंडवा,जिला--खंडवा

प्रकरण कमांक......../अ--2/2014--2015
मौजा--ग्राम दोंदवाड़ा तहसील--खंडवा।

आवेदक श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी निवासी, संतोषनगर, खंडवा तहसील--खंडवा।

.........आवेदक

॥ इश्तहार ॥

(आज दिनॉक 16--10--2014 को जारी)

आवेदक/आवेदकगण/संस्था ने ग्राम दोंदवाड़ा तहसील--खंडवा स्थित निजी मालकी एवं कब्जे की भूमि खसरा नं0 874, 875 कमशः रकबा 0.720, 0.610 है0 कुल रकबा 1.330 है0 का औधोगिक ईंट बनाने के प्रयोजनार्थ''हेतु व्यपवर्तन किये जाने की अनुमति चाही गई है।

2-- उक्त भूमि को ''औधोगिक ईंट बनाने के प्रयोजनार्थ'' मद में व्यपवर्तन किये जाने की अनुमति आवेदक/आवेदकगण/संस्था को दिये जाने के संबंध में यदि किसी व्यक्तिको कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित/मौखिक रूप में न्यायालय में उपस्थित होकर दिनॉक 31--10--2014 तक पेश कर सकता है। नियत दिनॉक/अवधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नही किया जावेगा और ना ही कोई सुनवाई होगी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
अनुभाग--खंडवा

खंडवा, दिनॉक 16--10--2014

पृष्ठांकन क्र./री--/अ0वि0अ0/14/2285

प्रतिलिपी--

नगादार माल, तहसील कार्यालय, खंडवा की और तामिली एवं रिपोर्ट हेतु।

1-- एक प्रति कार्यालय तहसीलदार, तहसील--खंडवा। के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

2-- एक प्रति कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छैगावमाखन तहसील-- खंडवा के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

3-- एक प्रति कार्यालय, सरपंच, ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा। जन.पंचा. छैगांवमाखन के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

4-- एक प्रति आवेदित स्थल ग्राम दोंदवाडा। तहसील--खंडवा। की भूमि खसरा नम्बर 874, 875 पर मुनादी एवं चस्पा हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
अनुभाग--खंडवा

न्याय० अ० वि० अ० खण्डवा के प्र० क्रमांक - 06/अ-2/14-15 दोंदवाड़ा में संलग्न इश्तहार की नकल श्रीमती आशा पति कमलेश सेठी नि. खंडवा

(67)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग–खंडवा। जिला–खंडवा

प्रकरण कमांक 06/अ–2/2014–2015

मौजा – ग्राम दोंदवाड़ा। तहसील–खंडवा।

1– श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी
निवासी संतोषनगर कालोनी, खंडवा तहसील एवं जिला–खंडवा।

.... आवेदिका।

।। आदेश ।।

(पारित दिनॉक 07–11–2014)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदिका श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी निवासी, खंडवा द्वारा हस्ताक्षरित एक आवेदन पत्र अधिवक्ता श्री अरूण गुप्ता के माध्यम से, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता–1959 की धारा 172 (1) के तहत नियत प्रारूप में पेश कर ग्राम दोंदवाड़ा तहसील–खंडवा स्थित मालकी एवं कब्जे की भूमि खसरा नं0 874, 875 कमशः रकबा 0.720, 0.610 है0 कुल रकबा 1.330 हैक्टर का व्यपवर्तन "औद्योगिक–ईंट बनाने के प्रयोजनार्थ" हेतु चाहा गया है। आवेदन पत्र के साथ भूमि की रजिस्ट्री छाया प्रति, भूमि का नक्शा, खसरा, बी–1, मानचित्र आदि दस्तावेज संलग्न पेश किये गये है।

2– उक्त आवेदित कृषि भूमि को कृषि भिन्न "औद्योगिक ईंट बनाने के प्रयोजन" हेतु व्यपवर्तन किये जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में इश्तहार जारी किया। नियत अवधि में कोई आपत्ति न्यायालय में प्राप्त नही हुई। साथ ही संबधित विभागों से तत्संबंधी अभिमत चाहा गया। अधीक्षक, भू–अभिलेख परि0 एवं राजस्व निरीक्षक डाय. खंडवा से स्थल जॉच प्रातिवेदन एवं रेन्ट गणना बावत जानकारी प्राप्त की गई।

3– उपसंचालक,नगर तथा ग्राम निवेश,खंडवा तथा अन्य संबंधित विभागों की एनओसी समयावधि में प्राप्त नही। सरपंच,ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा जनपद पंचायत, छैगांवमाखन का पत्र प्राप्त, जिसमें दर्शित किया कि ग्राम दोदवाड़ा की जनसंख्या वर्तमान सर्वे अनुसार 1500 की है।

4– मेरे द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम–2003 "मूल अधिनियम की धारा–172 का संशोधन एवं प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 2–1/2013/सात/शा.6 दिनॉक 25 जून–2014 की कंडिका–2 का अवलोकन किया। "इस धारा के प्रावधानानुसार 2000 से कम की जनसंख्या वाले ग्रामों में स्थित भूमियों के लिये अनुज्ञा की आवश्यकता नही है, ऐसे मामलों में केवल धारक द्वारा उपखंड अधिकारी को व्यपवर्तन की लिखित सूचना दी जाना पर्याप्त है।

5– अधीक्षक, भू–अभिलेख परि./राजस्व निरीक्षक डाय. खंडवा द्वारा आवेदित भूमि ग्राम दोंदवाड़ा खसरा नं0 874, 875 कमशः रकबा 0.720, 0.610 है0 स्थल की जॉच की जाकर प्रतिवेदन, रेन्ट गणना प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार प0ह0नं0–88/38 ग्राम दोंदवाड़ा तह0खंडवा, की भूमि खसरा नं0 874, 875 कमशः रकबा 0.720, 0.610 है0 कुल रकबा 1.330 हैक्टर भू0रा0 रूपये 2=00 आवेदिका श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी, निवासी खंडवा के नाम शासकीय अभिलेखों में भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज है। आवेदिका ने उक्त वर्णित संपूर्ण भूमि को कृषि भिन्न प्रयोजन औद्योगिक–ईट बनाने के प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन चाहा है। आवेदित भूमि स्थल पर रिक्त है, भूमि पर कोई निर्माण कार्य नही किया गया है। आवेदित भूमि ग्राम दोंदवाड़ा ग्राम पंचायत,दोंदवाड़ा विकास खंड, छैगांवमाखन की सीमा अन्तर्गत आती है। भूमि, नगर पालिक निगम,खंडवा सीमा में स्थित नहीं है।

न्या० अ० वि० अ० खण्डवा के प्र० क्रं० 06/अ–
दोंदवाड़ा में संलग्न आदेश पारित दिन
07/11/14 की नकल।
श्रीमती आशा पति कमलेश सेठी जि.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी खण्डवा (म.प्र.)

कार्यालय तहसीलदार खंडवा (seal)

(67)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग–खंडवा। जिला–खंडवा

प्रकरण कमांक 06/अ–2/2014–2015

मौजा – ग्राम दोंदवाड़ा। तहसील–खंडवा।

1– श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी
निवासी संतोषनगर कालोनी, खंडवा तहसील एवं जिला–खंडवा।

.... आवेदिका।

।। आदेश ।।

(पारित दिनॉक 07–11–2014)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदिका श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी निवासी, खंडवा द्वारा हस्ताक्षरित एक आवेदन पत्र अधिवक्ता श्री अरूण गुप्ता के माध्यम से, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता–1959 की धारा 172 (1) के तहत नियत प्ररूप में पेश कर ग्राम दोंदवाड़ा तहसील–खंडवा स्थित मालकी एवं कब्जे की भूमि खसरा नं0 874, 875 कमशः रकबा 0.720, 0.610 है0 कुल रकबा 1.330 हैक्टर का व्यपवर्तन "औघोगिक–ईंट बनाने के प्रयोजनार्थ" हेतु चाहा गया है। आवेदन पत्र के साथ भूमि की रजिस्ट्री छाया प्रति, भूमि का नक्शा, खसरा, बी–1, मानचित्र आदि दस्तावेज संलग्न पेश किये गये है।

2– उक्त आवेदित कृषि भूमि को कृषि भिन्न "औघोगिक ईंट बनाने के प्रयोजन" हेतु व्यपवर्तन किये जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में इश्तहार जारी किया। नियत अवधि में कोई आपत्ति न्यायालय में प्राप्त नही हुई। साथ ही संबधित विभागों से तत्संबंधी अभिमत चाहा गया। अधीक्षक, भू–अभिलेख परि0 एवं राजस्व निरीक्षक डाय. खंडवा से स्थल जॉच प्रातिवेदन एवं रेन्ट गणना बाबत जानकारी प्राप्त की गई।

3– उपसंचालक,नगर तथा ग्राम निवेश,खंडवा तथा अन्य संबंधित विभागों की एनओसी समयावधि में प्राप्त नही। सरपंच,ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा जनपद पंचायत, छैगांवमाखन का पत्र प्राप्त, जिसमें दर्शित किया कि ग्राम दोदवाड़ा की जनसंख्या वर्तमान सर्वे अनुसार 1500 की है।

4– मेरे द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनयम–2003 "मूल अधिनियम की धारा–172 का संशोधन एवं प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 2–1/2013/सात/शा.6 दिनॉक 25 जून–2014 की कंडिका–2 का अवलोकन किया। "इस धारा के प्रावधानानुसार 2000 से कम की जनसंख्या वाले ग्रामों में स्थित भूमियों के लिये अनुज्ञा की आवश्यकता नही है, ऐसे मामलों में केवल धारक द्वारा उपखंड अधिकारी को व्यपवर्तन की लिखित सूचना दी जाना पर्याप्त है।

5– अधीक्षक, भू–अभिलेख परि./राजस्व निरीक्षक डाय. खंडवा द्वारा आवेदित भूमि ग्राम दोंदवाड़ा खसरा नं0 874, 875 कमशः रकबा 0.720, 0.610 है0 स्थल की जॉच की जाकर प्रतिवेदन, रेन्ट गणना प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार प0ह0नं0–88/38 ग्राम दोंदवाड़ा तह0खंडवा, की भूमि खसरा नं0 874, 875 कमशः रकबा 0.720, 0.610 है0 कुल रकबा 1.330 हैक्टर भू0रा0 रूपये 2=00 आवेदिका श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी, निवासी खंडवा के नाम शासकीय अभिलेखों में भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज है। आवेदिका ने उक्त वर्णित संपूर्ण भूमि को कृषि भिन्न प्रयोजन औघोगिक–ईट बनाने के प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन चाहा है। आवेदित भूमि स्थल पर रिक्त है, भूमि पर कोई निर्माण कार्य नही किया गया है। आवेदित भूमि ग्राम दोंदवाड़ा ग्राम पंचायत,दोंदवाड़ा विकास खंड, छैगांवमाखन की सीमा अन्तर्गत आती है। भूमि, नगर पालिक निगम,खंडवा सीमा में स्थित नही है।

–2–

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी खण्डवा (म.प्र.) (seal)

न्या० अ० वि० अ० खण्डवा के प्र० क्र० - 0
दोंदवाड़ा में संलग्न आदेश पारित
07/11/14 की नकल
श्रीमति आशा पति कमलेश सेठी

आवेदित भूमि शासकीय अथवा पट्टे की भूमि नही है। भूमि में से हाईटेंशन विद्युत लाईन नही जा रही है। भूमि खंडवा छैगांवमाखन मार्ग के दक्षिण दिशा में स्थित होकर खंडवा से करीबन 13 कि.मी. की दूरी पर है, भूमि का व्यपवर्तन औघोगिक–ईंट बनाने के प्रयोजन हेतु किया जाता है तो किसी प्रकार का प्रदूषण अथवा न्यूसेंस नही होगा। प्रश्नाधीन आवेदित भूमि कुल रकबा 1.330 हैक्टर का वर्गफीट में क्षेत्रफल 143160 वर्गफीट (13300 व0मी0) होता है।

आवेदित भूमि की चतुरसीमा निम्नानुसार है :–

पूर्व दिशा में – हुकुम, प्रभु एवं बलीराम की भूमि।
पश्चिम दिशा में – खसरा नं0 858/2 की भूमि
उत्तर दिशा में – आम रास्ता
दक्षिण दिशा में – आम रास्ता।

प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल अधिसूचना दिनॉक 10 जुलाई–2014 वर्णित अनुसूची अनुसार भूमि के उपयोग हेतु भूराजस्व के पुर्ननिर्धारण हेतु दर/प्रीमियम का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार ग्राम दोदवाड़ा (ग्राम पंचायत परिसीमा) तहसील–खंडवा हेतु कलेक्टर, खंडवा गाईड लाईन वर्ष 2014–15 अनुसार बाजार मूल्य रूपया 23,40,900=00 (तेईस लाख चालीस हजार नौ सौ रूपया) प्रति हैक्टर के मान से निर्धारित है, इस मान से आवेदित भूमि कुल रकबा 1.330 हैक्टर (143160 वर्गफीट/13300 वर्गमीटर) का गाईड लाईन अनुसार बाजार मूल्य रूपया 31,13,397=00 (इकतीस लाख तेरह हजार तीन सौ सत्यानबे रूपया) निर्धारित होती है, इस राशि का 0.2 प्रतिशत औघोगिक भू–परिवर्तित रेन्ट रूपया 6,227=00 वार्षिक, तथा इस राशि का 50 प्रतिशत पंचायत उपकर रूपया 3,114–00 होता है, तथा 1 प्रतिशत प्रीमियम राशि रूपया 31,114=00 राजस्व वर्ष 2014–2015 से निर्धारित कर कायम किया जाना तथा कृषि भू–राजस्व रूपया 2=00 कम किया जाना प्रस्तावित किया है, जो एतद्द्वारा स्वीकृत किये जाते है।

5– प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि ग्राम दोंदवाड़ा 874, 875 कमशः रकबा 0.720, 0.610 है0 कुल रकबा 1.330 हैक्टर भू0रा0 रूपये 2=00श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी, निवासी खंडवा के नाम शासकीय अभिलेखों में भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज है। भूमि को कृषि भिन्न प्रयोजन औघोगिक–ईंट बनाने के प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किये जाने बाबत इश्तहार जारी होने पर, कोई आपत्ति प्राप्त नही है।

अतएव् उक्त विवेचना परिप्रेक्ष्य में ग्राम दोंदवाड़ा तहसील–खंडवा की भूमि खसरा नं0 874, 875 कमशः रकबा 0.720, 0.610 है0 कुल रकबा 1.330 हैक्टर (अर्थात 143160 वर्गफीट/13300 वर्गफीट) भूमि का ''औघोगिक–ईंट बनाने के प्रयोजन'' हेतु व्यपवर्तन किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं निर्धारण के तहत प्रदान की जाती है।

1– व्यपवर्तित भूमि कुल रकबा 1.330 हैक्टर अर्थात 143160 वर्गफीट/13300 वर्गमीटर भूमि पर औघोगिक परिवर्तित रेन्ट रूपया 6,227=00 प्रतिवर्ष, पंचायत उपकर रूपया 3,114=00 प्रतिवर्ष तथा प्रीमियम रूपया 31,134=00 कायम किया जाता है। औघोगिक परिवर्तित रेन्ट राजस्व वर्ष 2014–2015 से देय होगा। कृषि भू0रा0 2=00 कम किया जाता है।

2– व्यपवर्तित भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व,स्थानीय संस्था, ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा से भवन निर्माण अनुमति, उपयंत्री मानचित्र अनुमोदन, प्राप्त करना आवश्यक होगा। व्यपवर्तित भूमि का अन्य मद प्रयोजनार्थ उपयोग नही किया जावेगा।

(71)

3– पर्यावरण की दृष्टि से किसी भी प्रकार के प्रदूषण हेतु (यदि आवश्यक हो तो) म0प्र0प्रदुषण निवारण मंडल से अनापत्ति पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4– विघुत लाईन के नीचे अथवा विघुत लाईन से प्रभावित क्षेत्र में विकास/निर्माण कार्य प्रतिबंधित होगा।

5– भवन का निर्माण भूकंप अवरोधी तकनीकी से करना आवश्यक होगा। वर्षा/छत के पानी की हार्वेस्टिंग प्रणाली की वैकल्पिक व्यवस्था म.प्र.भूमि विकास नियम 1984 के नियम 78 (4) मे दिये गये विकल्पों के अनुसार करना अनिवार्य होगा। भवन में निःशक्त व्यक्तियों के लिये बाधा रहित आवागमन हेतु उचित प्रावधान (रैम्प इत्यादि) करना अनिवार्य होगा।

6– स्थल पर विघमान वृक्षों को यथावत रखा जावें, जिन वृक्षों को काटना हो उसके लिये नियमानुसार अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करना होगा। भूमि–भूखंड का उपविभाजन मान्य नही होगा।

7– प्रस्तावित उपयोग से संबंधित समस्त सुरक्षा साधनों की स्वयं को व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। पार्किंग की व्यवस्था स्वयं की भूमि पर करना होगा।

8– भूमिस्वामित्व संबंधी वाद/विवाद होने की दशा में अथवा गलत जानकारी देने अथवा आदेश में उल्लेखित शर्तो के उल्लंधन की दशा में दी गई अनुज्ञा निरस्त मानी जावेगी।

यह आदेश आज दिनॉक 07–11–2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं सील मुद्रा से जारी किया ।

(महेन्द्रसिंह कवचे)
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
अनुभाग खंडवा

खंडवा,दिनॉक 07–11–2014

पृष्ठां0क्रं0क/री–अ0वि0अ0/2014

प्रतिलिपी–

1– उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,खंडवा।
2– तहसीलदार,तहसील–खंडवा/सहा0अधी0 परिवर्तित शाखा,खंडवा।
3– सरपंच,ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा। जन0पंचा0 छैगांवमाखन। तहसील–खंडवा।
4– पटवारी, ग्राम दोंदवाड़ा। तह0खंडवा द्वारा– राजस्व निरीक्षक, छैगांवमाखन।
5– आवेदिका श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी, निवासी संतोषनगर कालोनी ,खंडवा। तहसील एवं जिला–खंडवा। की और सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु। औघोगिक परिवर्तित रेन्ट/प्रीमियम राशि अविलंब जमा कर चालान प्रति पेश करें।

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
अनुभाग खंडवा

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिकार
तहसील खण्डवा
07/11/15

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग–खंडवा, जिला–खंडवा

प्रकरण क्रमांक......../अ–2/2014–2015
मौजा–ग्राम दोंदवाड़ा तहसील–खंडवा।

आवेदक श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी निवासी, संतोषनगर, खंडवा
तहसील–खंडवा। ....आवेदक

।। इश्तहार ।।

(आज दिनॉक 16–10–2014 को जारी)

आवेदक/आवेदकगण/संस्था ने ग्राम दोंदवाड़ा तहसील–खंडवा स्थित निजी मालकी एवं कब्जे की भूमि **खसरा नं0 874, 875 कमशः रकबा 0.720, 0.610 है0 कुल रकबा 1.330 है0 का औघोगिक ईट बनाने के प्रयोजनार्थ**''हेतु व्यपवर्तन किये जाने की अनुमति चाही गई है।

2– उक्त भूमि को **''औघोगिक ईट बनाने के प्रयोजनार्थ''** मद में व्यपवर्तन किये जाने की अनुमति **आवेदक**/आवेदकगण/संस्था को दिये जाने के संवंध में यदि किसी व्यक्तिको कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित/मौखिक रूप में न्यायालय में उपस्थित होकर दिनॉक **31–10–2014** तक पेश कर सकता है। नियत दिनॉक/अवधि के बाद प्राप्त आपत्तियॉं पर कोई विचार नही किया जावेगा और ना ही कोई सुनवाई होगी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
अनुभाग–खंडवा

खंडवा, दिनॉक 16–10–2014

पृष्ठां0क्रं0क/री–/अ0वि0अ0/14/2285

प्रतिलिपी–

जमादार माल, तहसील कार्यालय, खंडवा की और तामिली एवं रिपोर्ट हेतु।

जमादार माल, तहसील कार्यालय, खंडवा। के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

1– एक प्रति कार्यालय तहसीलदार, तहसील–खंडवा। के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
2– एक प्रति कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, छैगांवामखन तहसील– खंडवा के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
3– एक प्रति कार्यालय, सरपंच, ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा। जन.पंचा. छैगांवामखन के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
4– एक प्रति आवेदित स्थल ग्राम दांदेवाड़ा। तहसील–खंडवा। की भूमि खसरा नम्बर 874, 87 पर मुनादी एवं चस्पा हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
अनुभाग–खंडवा